<u>दिनांक 16.12.2024</u>

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त रमेश कालिया जिला कारागार से न्यायिक अभिरक्षा में उपस्थित आया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त दिनांक 15.01.2021 से 19.07.2022 तक तथा पुनः दिनांक 17.08.2024 से जिला कारागार, आगरा में निरूद्ध है।

अतः मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों व द0प्र0सं0 की धारा 436(क) के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाना न्यायोचित पाता हूँ।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त रमेश कालिया को प्रस्तुत मामले में उसके द्वारा मु0 30,000/—रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व इसी धनराशि की दो प्रतिभू दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाता है।

पत्रावली वास्ते अभियोजन साक्ष्य नियत दिनांक 18.01.2025 को पेश हो। अभियोजन गवाहान तलब हों।

ह0

विशेष न्यायाधीश (द0प्र0क्षे0)/
अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या—03,
आगरा।